<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/टीए/6088/2005/टोंक
दशरथ बनाम ठाकुर कल्याण जी मूर्ति विराजमान</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td></td><td>
एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30–7–2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर, मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– आलौच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज किया है।

3– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि मन्दिर श्री ठाकुर कल्याण जी मूर्ति जरिये तहसीलदार, मालपुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, मालपुरा के समक्ष प्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 183 के तहत् ग्राम डिग्गी स्थित विवादित आराजीयात बाबत् एक वाद प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 6–12–2005 द्वारा खारिज कर दिया गया। उनका यह कथन है कि तहसीलदार को मंदिर श्री ठाकुर कल्याण जी की ओर से वाद दायर करने का अधिकार नहीं था। प्रार्थी जागीर के पुनर्ग्रहण से पूर्व ही विवादित आराजीयात पर काश्त कर रहा था। उक्त आराजी जागीरदार की माफी भूमि थी और जागीर के पुनर्ग्रहण के पश्चात् प्रार्थी कानूनन विवादित आराजीयात का खातेदार बन गया था। प्रार्थी भूमि का पूजारी है और मंदिर की देखभाल करता है। लेकिन तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध वाद दायर किया है, जो आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत् निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर, मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–2005 निरस्त किया जावे।

5– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया।
</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6088/2005/टोंक** **दशरथ बनाम ठाकुर कल्याण जी मूर्ति विराजमान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 से संबंधित है, जो मूलतः इस प्रकार है— **"11. Rejection of plaint.** The plaint shall be rejected in the following cases- **(a)** where it does not disclose a cause of action; **(b)** where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so; **(c)** where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so; **(d)** where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law **(e)** where it is not filed in duplicate **(f)** where the plaintiff fails to comply with the provision of rule 9 **Provided** that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature form correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff." उक्त प्रावधानों के तहत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद पत्र का नामंजूर किए जाने के जो कारण अंकित किए गए हैं, उसमें वाद हेतुक प्रकट नहीं होना, अनुतोष का मूल्यांकन कम किए जाना एवं अपर्याप्त स्टॉम्प पर होने व दावा विधि द्वारा वर्जित होना एवं दो प्रतियों में दाखिल नहीं करने का अंकित किया है। किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थना—पत्र में जो आधार लिए गए है, वे आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किए जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। वाद की पोषणीयता के संबंध में वाद के अभिवचनों पर ही विचार करना अपेक्षित होता है। वाद पत्र में कथित तथ्यों से वाद—पत्र खारिज करने का मामला नहीं बनता है। 7— हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि बाबत् खातेदारी घोषणा एवं बेदखली का प्रकरण विचाराधीन है। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों और अभिकथनों से बाहर जाकर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/6088/2005/टोंक** **दशरथ बनाम ठाकुर कल्याण जी मूर्ति विराजमान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किसी वाद को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वाद विधि से वर्जित है। यदि किसी अन्य बिन्दुओं के विनिश्चयन हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर, प्रतिवाद–पत्र अथवा प्रार्थना–पत्र में वर्णित अतिरिक्त कथनों को पढ़ना पड़े अथवा अन्य दस्तावेजात का अवलम्बन लेना पड़े तो ऐसे मामले में दावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वाद में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना–पत्र खारिज का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत है। वाद का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित है। निगरानी का क्षेत्र सीमित होता है। हस्तगत निगरानी धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जो इस प्रकार है– "**230- Power of the Board to call for cases-** The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears- (a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or (b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or (c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity. Board may pass such orders in the cases as it thinks fit." उक्त धारा में यह प्रावधित किया है कि जब अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या न्यायालय निहित अधिकारिता का उपयोग करने में असफल रहा हो या उसमें निहित अधिकारिता का अवैधानिक या तथ्यात्मक अनियमितता के रूप में उपयोग किया हो, तो निगरानी की जा सकती है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसलिए निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है। 8– उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	